रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 1983/फाल्गुन 20, 1904

No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 1983/PHALGUNA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनायें

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1983

सा० का० नि० 257 (अ) —केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक घर सावधिक जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक घर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 डाक-घर सावधिक जमा नियम, 1981 के नियम 7 में सारणी ङ और उसके नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित सारणियां और टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

सारणी ङ

(1 अप्रैल, 1982 को या उसके पश्चात किन्तु 1 मार्च 1983 से पूर्व जमा रकमों के लिए)

जमा की अवधि	प्रति वर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	9 प्रतिशत
2 वर्ष	9/3/4 प्रतिशत
3 वर्ष	10/1/2 प्रतिशत
5 वर्ष	10/1/2 प्रतिशत

सारणी च

(1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् जमा रकमों के लिए)

जमा की अवधि	प्रति वर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	9 प्रतिशत
2 वर्ष	9/3/4 प्रतिशत
3 वर्ष	10/1/2 प्रतिशत
5 वर्ष	11/1/2 प्रतिशत

1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जमा रकमों के लिए ब्याज, यथास्थिति सारणी ग या सारणी घ या सारणी ङ या सारणी च में विनिर्दिष्ट दरों पर सदेय होगा जो अर्धवार्षिक अन्तराल पर संगणित किया जाएगा।"

[सं० एफ० 2/7/83-एन० एस० (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th March, 1983

G S R 257(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, in rule 7, for Table E and the Note thereunder, the following Tables and Note shall be substituted, namely:—

TABLE E

(For deposits made on or after the 1st April, 1982 but before the 1st March, 1983)

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 Year	9 per cent
2 years	9¾ per cent
3 Years	10½ per cent
5 Years	10½ per cent

TABLE F

(For deposits made on or after the 1st March, 1983)

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 year	9 per cent
2 Years	9 ¾ per cent
3 Years	10½ per cent
5 years	11½ per cent

Note : For deposits made on or after the 1st October, 1979, interest will be payable at the rates specified in Table C or Table D or Table E or Table F, as the case may be, calculated at half-yearly rest."

[No. F. 2/7/83-NS(i)]

सा० का० नि० 258(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक-घर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक-घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक-घर आवर्ती बचत नियम, 1981 में—

(I) नियम 9 में, दोनों अनुसूचियों में, अंतिम मद "1-4-1982 से आगे—786.80" के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्

"1-4-1982 से 28-2-1983 786.80

1-3-1983 से आगे 807.60"

(II) नियम 10 के उपनियम (2) के खंड (क) और (ग) में, "सारणी" 1, 2 या 11" शब्दों और अंकों के स्थान पर "सारणी 1, 2, 11 या 13" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(III) नियम 11 के उप नियम (2) के खंड (ख) और (ग) में, "सारणी 3, 4, या 12," अंकों और शब्दों के स्थान पर "सारणी 3, 4, 12 या 14" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(IV) सारणी 11 और 12 में, "1 अप्रैल, 1982 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 1982 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 मार्च, 1983 से पहले" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(V) सारणी 12 के पश्चात् निम्नलिखित सारणियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"सारणी 13

(नियम 10 देखिए)

1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् खोले गए और परिपक्वता अवधि या नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के आगे मासिक जमा सहित चालू रखे गए खाते पर संदेय ब्याज सहित रकम।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता चालू रखा जाता है	10 रुपए के मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रुपए)
एक वर्ष	1030.70
दो वर्ष	1280.20
तीन वर्ष	1559.30
चार वर्ष	1871.30
पांच वर्ष	2220.20

टिप्पण :—किसी अन्य मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

सारणी 14

(नियम 11 देखिए)

1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् खोले गए और परिपक्वता अवधि या नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के आगे किसी नए मासिक जमा के बिना चालू रखे गए किसी खाते पर प्रतिसंदेय ब्याज सहित।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता चालू रखा जाता है	10 रुपए के मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रुपए)
एक वर्ष	903.20
दो वर्ष	1010.00
तीन वर्ष	1129.50
चार वर्ष	1263.20
पांच वर्ष	1412.60

टिप्पण :—किसी अन्य मूल्य वर्ग के किसी खाते पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

[एफ० 2/7/83-एन० एस० (II)]

G.S.R. 258(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Amdendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981,—

(i) in rule 9, in both the Schedules, for the last item, "From 1-4-1982 onwards 786.80",

the following items shall be substituted, namely—

"From 1-4-1982 to 28-2-1983	786.80
rom 1-3-1983 onwards	807.60";

(ii) in rule 10, in sub-rule (2), in clauses (a) and (c), for the words and figures "Table 1, 2 or 11", the words and figures "Table 1, 2, 11 or 13" shall be substituted;

(iii) in rule 11, in sub-rule (2), in clauses (b) and (c), for the words and figures "Table 3, 4 or 12", the words and figures "Table 3, 4, 12 or 14" shall be substituted;

(iv) in Tables 11 and 12, for the words and figures "on or after 1st April, 1982", the words and figures "on or after 1st April, 1982, but before 1st March, 1983", shall be substituted ;

(v) after Table 12, the following Tables shall be inserted, namely—

"TABLE 13

(See rule 10)

Amount, inclusive of interest, payable on as account opened on or after 1st March, 1983 and continued, with monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account is continued	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs. 10/- denomination
One year	1030.70
Two years	1280.20
Three years	1559.30
Four years	1871.30
Five years	2220.20

Note : The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

TABLE 14

(See rule 11)

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after 1st March, 1983 and continued, without any fresh monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account is continued	Amount (Rs.) repa y able on an account of Rs. 10 denomination
One year	903.20
Two years	1010.00
Three years	1129.50
Four years	1263.20
Five years	1412.60

Note :—The amount payable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above."

[No. F-2/7/83-NS(ii)]

सा० का० नि० 259(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (छठा निर्गम) संशोधन नियम 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचतपत्र (छठा निर्गम) नियम, 1981 के नियम 19 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां नियम 8 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से 1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् किसी पत्र का क्रय किया गया है और इसके लिए उक्त परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी ढंग से संदाय किया गया है वहां इसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय पत्र के भुनाए जाने पर संदेय रकम जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, 10 रु० के अभिधान वाले पत्रों के लिए 21.30 रु० होगी और किसी अन्य अभिधान के लिए अनुपातिक दर पर होगी। नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट ब्याज ऐसे पत्र के धारक या धारकों को प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रोद्भूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में पांचवें वर्ष के अंत तक इस प्रकार प्रोद्भूत होने वाला ब्याज धारक की ओर से पुनर्विनिहित किया गया माना जाएगा और पत्र के अंकित मूल्य की रकम में जोड़ा जाएगा।

सारणी

वर्ष जिसके लिए ब्याज प्रोद्भूत होता है	10 रु० के अभिधान वाले पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम (रुपए)
पहला वर्ष	1.34
दूसरा वर्ष	1.52
तीसरा वर्ष	1.73
चौथा वर्ष	1.96
पांचवां वर्ष	2.22
छठा वर्ष	2.53

टिप्पण :—किसी अन्य अभिधान के पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

[एफ० 2/7/83-एन० एस० (iii)]

G.S.R. 259 (E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Savings Certificates (VI Issue) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981, to rule 19, the following proviso shall be added namely:—

"Provided that where a certificate has been purchased on or after the 1st March, 1983 by or on behalf of an individual specified in the proviso to rule 8 and payment therefor has been made in any of the modes specified in the said proviso, the amount inclusive of interest payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs. 21.30 for the denomination of Rs. 10/- and at proportionate rate for any other denomination. The interest as specified in the Table below shall accure to the holder or holders of such certificate at the end of each year and the interest so accured at the end of each year upto the end of the fifth year shall be deemed to have been re-invested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest accruing on a certificate of Rs. 10 denomination
	Rs.
First year	1.34
Second year	1.52
Third year	1.73
Fourth year	1.96
Fifth year	2.22
Sixth year	2.53

Note :—The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.

[No. F. 2/7/83-NS(iii)]

सा० का० नि० 260(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचतपत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचतपत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1981 के नियम 19 के, उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां नियम 8 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से 1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् किसी पत्र का क्रय किया गया है और उसके लिए उक्त परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी ढंग से संदाय किया गया है वहां इस उपनियम के अधीन ब्याज की संगणना पत्र के अंकित मूल्य पर 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी।"

[एफ० 2/7/83-एन० एस० (iv)]
ए० सी० तिवारी, संयुक्त सचिव

G.S.R. 260(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VII Issue) Rules 1981, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Savings Certificates (VII Issue) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, in rule 19, to sub-rule (2) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where a certificate has been purchased on or after the 1st March, 1983 by or on behalf of an individual specified in the proviso to rule 8 and payment therefor has been made in any of the modes specified in the said proviso, the interest payable under this sub-rule shall be calculated at the rate of 13 per cent per annum on the face value of the certificate."

[No. F. 2/7/83-NS(iv)]
A.C. TIWARI, J. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983